छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक–एफ 2–12 / 2013 / 56 / इसूप्रौ रायपुर, दिनांक– 02/02/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

विभागाध्यक्ष (समस्त)

छत्तीसगढ़।

विषय–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन विषयक।

संदर्भ– विभाग का आदेश क्रमांक 113 / सं.स. / सूप्रौ / 2006 दिनांक 13 / 6 / 2006 (प्रतिलिपि संलग्न)।

––––

इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश की कंडिका क्रमांक (3) में यह निर्देश दिये गये है कि– **राज्य के समस्त विभागों, उनके मंडलों, निगमों एवं संस्थाओं आदि में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य, जिनकी कुल लागत रुपये एक करोड़ से अधिक हो, के प्रस्तावों का अनुमोदन सशक्त समिति द्वारा किया जाएगा।**

इस आदेश की प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त आदेश का पालन करने हेतु निर्देश प्रदान करना चाहेंगे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(समीर विश्नोई)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

क्रमांक–एफ 2–12 / 2013 / 56 / इसूप्रौ रायपुर, दिनांक– 02/02/2021

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(समीर विश्नोई)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

आवक क्रमांक ...157...
दिनांक 5 FEB 2021

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 5 FEB 2021
संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: 113 / स.स. / सूप्रौ / 2006 रायपुर, दिनांक– 13/06/06 /

आदेश

राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट लागू करने एवं विभिन्न विभागों की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :

(1) एक सशक्त समिति मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित की जाती है–

1.	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग–	सदस्य
2.	अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग–	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग–	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग–	सदस्य
6.	सचिव, वित्त एवं योजना विभाग–	सदस्य
7.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग–	सदस्य
8.	सचिव, पंचायत एवं ग्रा वि विभाग–	सदस्य
9.	सचिव, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग	सदस्य
10.	सचिव, जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
11.	प्रबंध संचालक, CSIDC –	सदस्य
12.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी–	सदस्य सचिव

(2) उक्त सशक्त समिति को राज्य की ई–प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए निम्नानुसार अधिकार होंगे –

(2.1) राज्य के समस्त विभागों, उनके मंडलों, निगमों एवं संस्थाओं आदि में परियोजना को लागू करने के लिए निर्णय लेना, जिसमें समस्त तकनीकी, व्यवसायिक, वित्तीय एवं निविदा संबंधी मामले सम्मिलित होंगे।

(2.2) विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का आवश्यकतानुसार संशोधन एव परिमार्जन करना।

301

(2.3) विभागों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानदंड निर्धारित करना रणनीति बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना एवं पर्यवेक्षण करना।

(2.4) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभागों को स्वीकृत बजट में उपलब्ध धनराशि के व्यय हेतु अनुशंसा करना।

(2.5) परियोजना के उपयोगकर्त्ताओं की कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना एवं तद्नुसार सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की नीति, नियमों, प्रक्रियाओं आदि में परिवर्तन एवं सुधार करना।

(2.6) आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों, सलाहकारों एवं विशेष आमंत्रितों को परामर्श हेतु मनोनीत करना एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संलग्न विभिन्न एजेंसीज के मध्य समन्वय करना।

(3) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने और उनका सुविधापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को अन्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण करने के लिए अधिकृत किया जाता है। राज्य के समस्त विभागों, उनके मंडलों, निगमों एवं संस्थाओं आदि में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य, जिनकी कुल लागत रुपये एक करोड़ से अधिक हो, के प्रस्तावों का अनुमोदन सशक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

2. राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट लागू करने के संबंध में जारी किया गया कार्यालयीन आदेश क्रमांक 417/स/सूप्रौ/ई–प्रो/2005 दिनांक 24/5/05 निरस्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार

अमन सिंह
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

302